महिला एकता ज़िंदाबाद! शाहीन बाग़ ज़िंदाबाद! संविधान ज़िंदाबाद!

अंतरराष्ट्रीय महिला दिन ज़िंदाबाद!

8 मार्च, अंतरराष्ट्रीय महिला दिन। यह दिन महिलाओं के साथ हो रहे हर प्रकार की लूट, शोषण और अन्याय के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने, एकजुट-संगठित होकर संघर्ष करने का संदेश देता है। घर में, समाज में, अर्थव्यवस्था में, राजनीति में, शासन में स्त्री-पुरुष समानता की माँग करने का दिन है।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिन महिलाओं के अधिकार और हक़ों के लिए किए गए बहादुराना और कुर्बानियों भरे संघर्ष की याद दिलाता है। आज से 125 साल पहले महिलाओं की काम की परिस्थितियाँ बहुत भयानक थीं। महिलाएँ कारख़ानों मे पुरुषों से कम वेतन पर 14–16 घंटे काम करती थीं। अनेक प्रकार का अन्याय और अपमान सहन करना पडता था। दूसरी तरफ़, महिलाओं को समाज में भी बराबरी का दर्जा नहीं था। अमेरिका और यूरोप के कई देशों में जनतंत्र आ गया था, लेकिन स्त्रियों को मतदान का अधिकार नहीं था।

इन परिस्थितियों के ख़िलाफ़ न्यूयॉर्क की 20,000 जुझारू सिलाई कामगार महिलाओं ने 8 मार्च 1908 के दिन ज़ोरदार प्रदर्शन किया। उनकी प्रमुख माँगें थीं—दस घंटे का काम का दिन और काम की जगह सुरक्षा। इसके अलावा उन्होंने यह माँग भी उठाई कि सभी वयस्क लोगों को—लिंग, वर्ण, संपत्ती और शिक्षा न देखते हुए—मतदान का अधिकार मिले। देखते ही देखते यह आंदोलन अमरीका-भर में, और वहाँ से यूरोप में, फैल गया, लाखों की संख्या में महिलाएँ इन माँगों के समर्थन में सड़कों पर उतर आईं।

1910 में कोपनहेगन में कामगार महिला संगठनों का एक अंतरराष्ट्रीय सम्मलेन हुआ। इसमें 17 देशों के महिला संगठनों की प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मलेन में जर्मनी की समाजवादी–जनवादीपार्टी की नेता क्लारा ज़ेटकिन ने प्रस्ताव रखा की न्यूयॉर्क की जुझारू सिलाई कामगार महिलाओं के संघर्ष को क्रांतिकारी अभिवादन देने के लिए 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिन के रूप में पूरी दुनिया में मनाया जाए। उनके प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार किया गया और इस प्रकार यह दिवस अस्तित्व में आया।

आज फिर एक बार 8 मार्च के मौक़े पर इस संघर्षपूर्ण इतिहास को याद करने की ज़रूरत है, हिम्मत जुटाकर अपने संघर्षों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि कई नए सवाल और चुनौतियाँ हमारे सामने खड़ी हुईं हैं। ऐसा लग रहा है कि देश में महिलाओं की परिस्थिति बद से बदतर होती जा रही है।

एक तरफ़ हमारी लड़ाई पित्तृसत्ता के ख़िलाफ़ है। स्त्रियों पर लैंगिक शोषण की घटनाएँ बढ़ती ही जा रही हैं। कन्या भ्रूण हत्या, छेड़छाड़, मारपीट, अपहरण, एकतरफ़े प्यार में महिला पर तेज़ाब फेंकना, दहेज के लिए उत्पीड़न, बलात्कार, ऐसी अनेक भयानक घटनाएँ हर रोज़ नहीं, हर घंटे और हर मिनट घट रही हैं। जब जाति–धर्मों में झगड़े होते हैं, तो उस जाति–धर्म के लोगों को सबक सिखाने के लिए उनकी महिलांओं पर हिंसा होती है। यहाँ तक कि घर के भीतर भी महिलाएँ सुरक्षित नहीं हैं—बचपन में परिचितों द्वारा बलात्कार से लेकर शादी के बाद पति द्वारा हिंसा का शिकार होती हैं।

महिलाओं पर हिंसा रोकने के लिए अनेक क़ानून मौजूद हैं। महिला आंदोलन ने लंबे संघर्षों के बाद अनेक अच्छे क़ानून प्राप्त किए हैं। फिर भी, महिलाओं पर हिंसा का सिलसिला नहीं थमा है। जहाँ एक ओर क़ानूनों में कई तरह की ख़ामियाँ हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हें सही तरीक़े और सख़्ती से लागू नहीं किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही, यह भी सही बात है कि सिर्फ़ क़ानून बनाने और उनको सख़्ती से लागू करने से यह हिंसा नहीं थमेगी। वह तभी होगा जब समाज का महिलाओं को देखने का नज़रिया बदलेगा, पित्तृसत्ता समाप्त होगी।

पित्तृसत्ता के साथ-साथ हमारी लड़ाई नव-उदारवादी पूंजीवादी व्यवस्था के भी ख़िलाफ़ है। इसने महिलाओं का वस्तुकरण करके महिलाओं पर हिंसा और बढ़ा दी है। पिछले अनेक दशकों से जीते गए अनेक अधिकार हमसे छीने जा रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सभी बुनियादी सुविधाओं में कटौती की जा रही है। देश सिर्फ़ बड़ी कंपनियों की मुनाफ़ाख़ोरी के लिए चलाया जा रहा है, जिसके कारण कृषि और लघु उद्योग संकटग्रस्त हो गए हैं, और रोज़गार का प्रश्न बहुत गंभीर हो गया है। ऊपर से श्रम क़ानून समाप्त किए जा रहे हैं। इसके चलते स्थायी रोज़गार समाप्त हो रहे हैं; अब युवाओं के लिए सिर्फ़ अस्थायी, असुरक्षित और कम वेतन वाले रोज़गार उपलब्ध हैं। इन नीतियों के चलते ग़रीबी, बेरोज़गारी, महंगाई, किसानों की आत्महत्याएँ बढ़ती जा रही हैं। इन नीतियों का

सबसे ज़्यादा परिणाम महिलाओं पर हुआ है। ग़रीबी और बेरोज़गारी की मार सबसे ज़्यादा उनपर पड़ रही है।

2014 में जबसे केंद्र में फ़ासीवादी भाजपा सरकार आई है, देश की परिस्थिति और विकट हुई है। भाजपा (और उसका पित्तृ संगठन आरएसएस) देश का संविधान नहीं मानती, और मनुस्मृति पर आधारित समाज रचना स्थापित करना चाहती है। इसीलिए वह स्त्री-पुरुष समानता को भी नहीं मानती। इस कारण भाजपा के सत्ता में आने के बाद देश में महिलाओं की स्थिति और बुरी हुई है। महिलाओं पर अत्याचार और बढ़े हैं, पहली बार देश में बलात्करिओं के समर्थन में जुलूस निकले हैं।

भाजपा हमारे देश का एक और बुनियादी मूल्य, धर्मनिरपेक्षता—जिसके लिए महात्मा गांधी शहीद भी हुए—नहीं मानती। यही कारण है कि पिछले 6 सालों में, जबसे मोदी सरकार सत्ता में आई है, वह लगातार देश में हिंदुओं और अल्पसंख्यक समुदायों—विशेषकर मुसलमानों और ईसाइयों—के बीच ध्रुवीकरण बढ़ाने का प्रयास कर रही है। उसके लिए कभी लव-जिहाद का तो कभी धर्म परिवर्तन का, कभी गौ हत्या का तो कभी राम मंदिर का, मुद्दा निकालकर सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने का प्रयास कर रही है। अब उसका नवीनतम हमला है—देश में मुसलमान घुसपैठियों को चिन्हित करने और देश से निकालने के नाम पर देश के नागरिकों की सूची तैयार करना। इसके लिए वह NPR–NRC–CAA लेकर आई है। असली उद्देश्य दूसरा है, वह है देश में सदियों से रह रहे मुसलामानों की नागरिकता पर शक़ पैदा करना।

पिछले कुछ महीनों से देश में इसके ख़िलाफ़ एक ज़बरदस्त जन-आंदोलन चल रहा है। और इस आंदोलन की सबसे उत्साहजनक बात यह है कि इसका नेतृत्व महिलाएँ कर रहीं हैं। देश भर में दसियों हज़ार की संख्या में महिलाएँ NPR–NRC–CAA के विरोध में सड़कों पर उतर आईं हैं। ये महिलाएँ अपने घरों से बाहर किसी महिला-केंद्रित मुद्दे पर नहीं, बल्कि संविधान की रक्षा के लिए आईं हैं। उनके हाथों में गांधी और आंबेडकर की तस्वीरें हैं, और होठों पर संविधान ज़िंदाबाद के नारे।

इस आंदोलन के केंद्र में निश्चित ही दिल्ली में शाहीन बाग़ में पिछले दो महीनों से चल रहा महिलाओं का धरना है। जामिआ के विद्यार्थियों पर हुए पुलिस के बर्बर लाठीचार्ज के बाद शुरू हुए इस आंदोलन की चिंगारी पूरे देश में फैल गई है। उससे प्रेरणा लेकर लखनऊ, प्रयागराज से लेकर पटना, गया, जयपुर, जबलपुर, रांची, पुणे सहित देश के अनेक शहरों में महिलाओं ने भी धरने शुरू किए हैं।

तेरे माथे पे यह आँचल बहुत ही ख़ूब है लेकिन — تیرے ماتھے پہ یہ آنچل بہت ہی خوب ہے لیکن

तू इस आँचल का इक परचम बना लेती तो अच्छा था — تو اس آنچل کا اک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا

मशहूर शायर मजाज़ लखनवी की इन इंक़लाबी लाइनों को शाहीन बाग़ की महिलाओं ने अमल में लाकर हक़ीक़त में बदल दिया है।

महिलाओं के नेतृत्व में चल रहा यह आंदोलन आज़ादी की लड़ाई के दौरान 1920 में गांधीजी के नेतृत्व में हुआ असहयोग आंदोलन की याद दिलाता है। गांधीजी ने यह नारा दिया था कि यदि कोई क़ानून अन्यायपूर्ण है, तो उसको न मानना हमारा हक़ है। यह वर्ष उस आंदोलन का शताब्दी वर्ष है। आज शाहीन बाग़ में उसी आंदोलन से प्रेरणा लेकर महिलाएँ सत्याग्रह पर बैठीं हैं।

स्त्रियाँ संसार की आधी आबादी है और सबसे अधिक लूट-शोषण का शिकार है। यही कारण है कि आज तक कोई भी सामाजिक बदलाव और क्रांति नहीं हुई है जिसमें स्त्रियों ने हिस्सा न लिया हो। हमारे देश के स्त्री-मुक्ति आंदोलन को अपना आंदोलन आगे बढ़ाते हुए, पित्तृसत्ता व्यवस्था और फ़ासीवादी नव-उदारवादी पूंजीवादी व्यवस्था को चुनौती देनी होगी। हमारे देश के आज़ादी के आंदोलन के नेताओं के सपने, जो हमारे संविधान में आए हुए हैं, उनपर आधारित समाज की स्थापना के लिए संघर्ष करना होगा। एक ऐसा समाज जिसमें हर किस्म के शोषण का अंत होगा, सभी को बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध होंगी, और सभी लोग ख़ुशी से और पूर्ण बराबरी के साथ जिएँगे।

अभिव्यक्ती लोकायत क़ाफ़िला

संपर्क पता: लोकायत, 129 बी/2, सिंडिकेट बैंक के सामने, लॉ कॉलेज रोड, नलस्टॉप के पास, एरंडवणे, पुणे – 411 004

(इस पते पर हर रविवारी शाम 5 से 7:30 के बीच लोकायत की मीटिंग होती है। मीटिंग में आपका स्वागत है।)

ऋषिकेश – 9423507864 अलका – 9067003838 www.lokayat.org.in lokayat.india@gmail.com

lokayat.india lokayat.india @lokayat lokayatpune abhivyakti.pune KafilaOfficial

यह पत्रक अलका जोशी द्वारा शनिवार, दि. 7 मार्च 2020 को पुणे में प्रकाशित किया गया है।